

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 655]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 — आश्विन 13, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-24/2015/12. — छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क. 22 सन् 2003) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एददद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत सलाहकार समिति में खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में श्री अशोकआदित्य प्रकाश धुरन्धर को सदस्य नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के अनुसार नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष की कालावधि के लिये होगी।

No. F 7-24/2015/12. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Mineral Development Fund Act, 2003 (No. 22 of 2003), the State Government, hereby, appoints Shri Ashokaditya Prakash Dhurandhar as a expert member in the field of mining in the Advisory Committee under clause (h) of sub-section (3) of Section 6 of the said Act.

The said appointment shall be for the period of 3 years from the date of appointment as per sub-section (4) of Section 6 of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, संयुक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला रायपुर-492 002

क्रमांक एफ 7-24/2015/12

नवा रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2019

प्रति,

17 OCT 2019


सदस्य सचिव (सलाहकार समिति),
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि एवं
संचालक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)-492 002

विषय :- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि 'सलाहकार समिति' में खनन क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में सदस्य की नियुक्ति बाबत।

--- 00 ---

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित है, की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त अधिसूचना की प्रति राज्य शासन की वेबसाईट <http://www.cg.nic.in/egazette> से डाऊनलोड कर अवलोकन की जा सकती है।

कृपया उक्त अधिसूचना का समुचित/क्रियान्वयन/परिपालन सुनिश्चित किया जाये।


(कुन्दन कुमार बजारे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग


पृ. क्रमांक एफ 7-24/2015/12

नवा रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :-

17 OCT 2019

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर,
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर,
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड नंबर-1, रायपुर (छत्तीसगढ़),
5. श्री अशोकआदित्य प्रकाश धुरन्धर, सदस्य (सलाहकार समिति), Address- G-10, Bramhaputra Apartment, Aakar Nagar, Katol Road, Nagpur (MS)-440 013 (India), +91-9867218908, Email- apdhurandhar@gmail.com,
6. श्री के. श्रीकान्त राव, उप संचालक (भौमिकी), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, कृपया उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें,
7. गार्ड फाईल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग